(119)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : के0सी0 जैन

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक-950-दो/2005 विरूद्ध आदेश दिनांक 11-5-2005 पारित द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर सम्भाग, ग्वालियर प्रकरण क्रमांक-417/अपील/2003-04

1- सुरेश कुमार पुत्र रामआसरा मल

2- महिला सोमवती पत्नी स्व0 आसरामल

दोनों निवासीगण हनुमान पुल के पास ए0बी0 रोड शिवपुरी जिला शिवपुरी म0प्र0

--- आवेदकगण

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन

---अनावेदक

श्री ए0 के0 अग्रवाल, अभिभाषक, आवेदकगण

श्री बी0 एम0 त्यागी , अभिभाषक, अनावेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 23.8. 2016 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 417/अपील/2003-04 पारित आदेश दिनांक 11-5-2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी शिवपुरी के न्यायालय में ग्राम छावनी शिवपुरी के पटवारी के द्वारा इस आशय का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया कि शिवपुरी की भूमि कमांक 973/1 के भाग 3600 वर्गफीट में 72 50 वर्गफीट में स्टेट बैंक इन्दौर और भूमि कमांक 970/1 मि0 में 2738 वर्गफीट में भूमि पंजाबनेशनल बैंक के लिये भवन निर्माण कर इस भूमि का व्यवसायिक उपयोग किया है जबकि आवेदक के द्वारा इस भूमि का कृषि भिन्न आशय के लिये व्यपर्तन कराकर आवासीय उपयोग केलिये उसके पुर्निधारण संहिता की की धारा 59 के अन्तर्गत कराया था । विचारण न्यायालय के प्रतिवेदन से कारण बताओ सूचना पत्र जारी किये थे जिसका उनके द्वारा उत्तर पेश कर उस पर विचारोपरांत अर्थदण्ड अधिरोपित किया, अनुविभागीय अधिकारी शिवपुरी के आदेश से दुखित होकर कलेक्टर जिला शिवपुरी के समक्ष अपील प्रस्तुत की जो उनके द्वारा अपील पर विचार किया तथा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखते हुये अपील निरस्त की, इसी आदेश से परिवेदित होकर द्वितीय अपील अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत जिसमें उनके द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया है कि

आवेदक द्वरा स्वयं अपने प्रतिवेदन में स्वीकार किया गया है कि उक्त भूमि का व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा है तो इसमें पटवारी का प्रतिवेदन के प्रतिवेदन के अलावा अन्य कोई साक्ष्य जुटाने की आवश्यकता नहीं है और उनके द्वारा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश समवर्ती होने से अपील निरस्त की है , इसी के विरूद्ध यह राजस्व मण्डल में निगरानी प्रस्तुत की गई है ।

3- आवेदक के अधिवक्ता का तर्क है कि अनुविभागीय अधिकारी ने मात्र पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर कर निर्धारण करदियाहै पटवारी का कथन नहीं लिया है व न उस पर कूट परीक्षण किया गया है और न ही आवेदक को अपना पक्ष समर्थन रखने का अवसर दिया गया है। आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदकगण को जो नोटिस दिया गया है वह अवैधानिक है उसके आधार पर आवेदकगण के विरूद्ध कार्यवाही करने में तथा कर-पुनिर्धारणकरने में तथा पैनल्टी लगाने में अधीनस्थ न्यायालय ने भूल की है । आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में यह भी कहा गया है कि जो नोटिस आवेदकगण को दिया गया है वह धारा 172 (4) व (5) म0प्र0 भू-राजस्व संहिता के अन्तर्गत दिया है जब कि पुर्न-निर्धारण टैक्स का आदेश धारा 59 भू-राजस्व संहिता के अन्तर्गत भी आदेश पारित कर दिया है। उक्त धारा के अन्तर्गत आवेदकगण को कोई नोटिस नहीं दिया है आवेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी के नोटिस के सभी तथ्यों को अस्वीकार किया गया है। अधिवक्ता द्वारा बताया गया है कि उक्त भूमि पर नवीन निर्माण नहीं कराया जा रहा

है बल्कि उक्त भूमि पर काफी पुराना निर्माण है जिस पर ऑल रेडी डायवर्सन टैक्स लग चुका है। अंत में उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जावे।

4– पैनल अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि एग्रीकल्चर की भूमि पर व्यवसायिक करण नहीं हो सकता उक्त भूमि का व्यवसायिक करण होने के कारण ही आवेदकगण पर अर्थदण्ड एवं पुन–निर्धारण अधिरोपित किया है वही सही है । अंत में उनके द्वारा कहा गया है कि दोनों न्यायालयों के आदेश समवर्ती आदेश हैं । अतः निगरानी निरस्त की जावे।

5– उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क श्रवण किये तथा उपलब्ध अभिलेखें का परिशीलन किया गया। आवेदक अधिवक्ता ने वही तथ्यों को दोहराया है जो निगरानी ज्ञापन में उल्लेख किया गया है। अभिलेख के अवलोकन से यह बात स्पष्टतः हो जाती है कि वादोक्तभूमि आवासीय उपयोग के लिये व्यपवर्तित कराया था और संहिता की धारा 59 के प्रावधानों के अन्तर्गत उसका पुननिर्धारण हुआ था । अब उक्त भूमि का उपयोग व्यावसायिक उद्देश्य के लिये किया है ।

6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर आवेदक का मुख्य तर्क यह रहा है कि डायवर्सन आदेश से पूर्व सुनवाई का अवसर देना चाहिये था, लेकिन अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष उनके द्वारा अपना उत्तर प्रस्तुत किया है और अपने उत्तर में आवेदकगण द्वारा कहीं भी इस बात से इनकार नहीं किया गया है कि उनके द्वारा व्यवसायिक भूमि पर

नहीं किया जा रहा है । इस हेतु पटवारी का साक्ष्य एवं प्रतिवेदन ही आधार मान कर विचारण न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश समवर्ती आदेश होने से उनमें मैं हस्तक्षेप की आवश्यकता समझाता हूँ। अतः अपर आयुक्त ग्वालियर का आदेश दिनांक 11.5.05 स्थिर रखा जाता है । तथा आवेदकगण द्वारा निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है ।

(के0सी0 जैन)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्प्रदेश,
ग्वालियर